:: न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर :: 14

समक्ष

डॉ0 एम0के0अग्रवाल

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी/2139/तीन/2006–विरूद्ध आदेश दिनांक 25–08–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर–प्रकरण क्रमांक 10/2005–06/ निगरानी।

अजीत कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद,निवासी
गुरैया,तहसील आरोन,जिला गुना म0प्र0। ----निगरानीकर्ता

विरूद्ध

तोरनसिंह पुत्र श्री नत्थूसिंह कुशवाह,निवासी
ग्राम गुरैया,तहसील आरोन,जिला गुना म0प्र0। -----गैरनिगरानीकर्ता

1. श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक----------निगरानीकर्ता के लिये।
2. श्री एस0एस0राजपूत, अभिभाषक----------गैरनिगरानीकर्ता के लिये।

::आ दे श::

(आज दिनांक 18.5.18 को पारित)

यह निगरानी मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/2005–06/निगरानी पारित आदेश दिनांक 25.08.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील गुना के ग्राम गुरैया में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 86/129 रकवा 0.627 है0 जो कि शासकीय अभिलेख में मार–3 कदीम के रूप में दर्ज है, विगत 10–15 वर्ष से कब्जा होने के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन कराये जाने बावत अशोक कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायन सक्सैना के द्वारा आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/1986–87/अ–19 पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 07.01.1987 से प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन अशोक कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायन के हक में स्वीकार किया गया। अशोक कुमार के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.06.87 को निगरानीकर्ता के हक में संपादित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.01.87 से परिवेदित होकर गैरनिगरानीकर्ता द्वारा निगरानी कलेक्टर,जिला गुना के न्यायालय

में दिनांक 20.11.2000 को प्रस्तुत की गयी। निगरानी पेश करने में हुये विलम्ब को माफ किये जाने बावत अवधि विधान की धारा 05 के अंतर्गत आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया। कलेक्टर,जिला गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 42/2000–01/निगरानी माल पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 09.04.2002 से स्वीकार करने का यह आधार लिया गया कि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा उक्त तथ्यों की सूचना इस निगरानी–पत्र के माध्यम से न्यायालय को दी गई है। यहां गैरनिगरानीकर्ता की स्थिति एक सूचना–दाता के रूप में है। इस कारण उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन समयावधि में होकर ग्राहय् योग्य है अथवा नहीं कोई औचित्य नही रखता है। गैरनिगरानीकर्ता की इस सूचना के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वप्रेरणा में सुनवाई करने को लिया जाकर परीक्षण उपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा पारित व्यवस्थापन आदेश दिनांक 07.01.87 तथा उसके क्रम में जारी भूमि का पट्टा निरस्त करते हुये भूमि का किया गया अन्तरण निष्प्रभावी किया गया और प्रश्नाधीन भूमि पूर्ववत शासकीय घोषित की गयी। कलेक्टर,जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2002 से व्यथित होकर निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में दिनांक 14.10.2005 को प्रस्तुत की गयी। निगरानी पेश करने में हुये विलंब को माफ किये जाने बावत निगरानीकर्ता के द्वारा अवधि विधान की धारा 05 के अंतर्गत आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/2005–06/निगरानी पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 25.08.2006 से प्रस्तुत निगरानी अवधिवाहय् होने के कारण निरस्त की गयी। अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2006 से दुखी होकर निगरानीकर्ता के द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गयी है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आहूत किया जाकर उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये। गैरनिगरानीकर्ता के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में लिखित तर्क भी पेश किये गये है,जो शामिल प्रकरण हैं।

4. निगरानीकर्ता के विद्धान अभिभाषक ने अपने तर्क प्रायः उन्हीं बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका उल्लेख निगरानी मेमो में किया गया है। इसके अलावा मौखिक रूप से यह तर्क भी प्रस्तुत किये गये है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित व्यवस्थापन आदेश के विरूद्ध 14 वर्षों के बाद गैरनिगरानीकर्ता के द्वारा कलेक्टर, जिला गुना के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी थी, जो अत्याधिक विलंवित थी। कलेक्टर,जिला गुना के द्वारा विलंव के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया वल्कि प्रस्तुत निगरानी को स्वप्रेरणा में मानकर विचारण न्यायालय द्वारा व्यवस्थापन आदेश निरस्त करते हुये पट्टा निरस्त कर दिया गया तथा विक्रय पत्र को निष्प्रभावी घोषित कर दिया गया जिसका अधिकार कलेक्टर,जिला गुना को नहीं था क्योंकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र

को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर,जिला गुना द्वारा पारित आदेश स्वतः ही दूषित था किन्तु अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी को ही अवधिवाहय् मानकर तकनीकी विन्दु के आधार पर निरस्त कर दी गयी। अनेक वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अपने न्यायिक सिद्धांतों में यह अभिनिर्धारित किया गया कि विलंव के आवेदन पत्र पर विचार करते समय न्यायालय को उदार रूख अपनाया जाना चाहिये। अतः दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत न होकर निरस्त किये जावे और प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे।

5. गैरनिगरानीकर्ता के विद्धान अभिभाषक ने अपनी लिखित वहस में मुख्य रूप से यह बताया है कि कलेक्टर, जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2002 दोनों पक्षकारों के अभिभाषकगण के द्वारा नोट किया गया था। निगरानीकर्ता द्वारा कलेक्टर,जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2002 के विरूद्ध अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में निगरानी तीन वर्षो से अधिक समय के बाद पेश की गयी। अवधि विधान की धारा 05 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में यह आधार लिया गया कि निगरानीकर्ता के अभिभाषक का मोबाईल नम्बर बदल गया था, इस कारण जानकारी नहीं हो सकी। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 05 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में लिखे गये जानकारी का स्त्रोत समाधानकारक न मानकर ही प्रस्तुत निगरानी अवधिवाहय् में निरस्त कर दी गयी। गैरनिगरानीकर्ता के विद्धान अभिभाषक ने यह भी बताया कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नाधीन पट्टे की भूमि दिनांक 03.06.87 को पट्टाधारी से क्रय की गयी थी जबकि विक्रेता अशोक कुमार को दिनांक 07.01.87 को पट्टा प्राप्त हुआ था। इस प्रकार प्रश्नाधीन भूमि का अंतरण पट्टा प्राप्ति दिनांक के 06 माह बाद ही पट्टाधारी द्वारा बिना कलेक्टर की अनुमति के विक्रय कर दी गयी थी। इस प्रकार संहिता की धारा 165 (7–ख) का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण कलेक्टर,जिला गुना द्वारा आदेश पारित किया जाकर पट्टा निरस्त करते हुये अंतरण को निष्प्रभावी घोषित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित की गयी है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने के कारण यथावत रखे जाकर प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

6. मैनें प्रकरण में उभयपक्षकारों के विद्धान अभिभाषकगणों के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है कि ग्राम गुरैया तहसील गुना में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 86/129 रकवा 0.627 है0 का व्यवस्थापन कराये जाने बावत अशोक कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायन के द्वारा आवेदन पत्र विचारण न्यायालय में पेश किया गया था। व्यवस्थापन का यह आधार लिया गया था कि प्रश्नाधीन भूमि पर उसका 10–15 सालों से कब्जा है। विचारण न्यायालय द्वारा

आदेश दिनांक 07.01.87 से प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन अशोक कुमार के हक में किया गया। अशोक कुमार द्वारा पटटा प्राप्ति के 06 माह के अन्दर ही पट्टे से प्राप्त शासकीय भूमि का विक्रय बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के दिनांक 03.06.87 को निगरानीकर्ता के हक में कर दिया गया है। इसी क्रम में गैरनिगरानीकर्ता के द्वारा एक निगरानी आवेदन पत्र कलेक्टर,जिला गुना के न्यायालय मे पेश किया गया। साथ ही विलंब माफ किये जाने बावत अवधि विधान की धारा 05 के अंतर्गत आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य् प्रकाश में आया है कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 86/129 रकवा 0.627 है0 का व्यवस्थापन विचारण न्यायालय द्वारा अशोक कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायन को दिनांक 07.01.87 के द्वारा किया गया था। पट्टा प्राप्त होने के 06 माह के अंदर ही शासकीय पट्टे की भूमि का अंतरण अशोक कुमार के द्वारा कर दिया गया। स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता के द्वारा बिना कलेक्टर की अनुमति के भूमि क्रय कर ली गयी जिससे संहिता की धारा 158(3) एवं 165(7–ख) का उल्लंघन हुआ है। संहिता की धारा 158(3) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति पट्टे या आबंटन की तारीख से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि को अंतरित नहीं करेगा। इस प्रकार निगरानीकर्ता को प्रश्नाधीन भूमि क्रय किये जाने से पहिले कलेक्टर की अनुमति ली जाना आवश्यक थी। निगरानीकर्ता का यह कहना कि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा 14 वर्ष के बाद निगरानी कलेक्टर,जिला गुना के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी एवं कलेक्टर,जिला गुना द्वारा अवधि के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जबकि सर्वप्रथम अवधि के विन्दु का निराकरण किया जाना चाहिये था। कलेक्टर जिला गुना द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि गैरनिगरानीकर्ता एक सूचना–दाता है, उसके द्वारा प्रस्तुत यह आवेदन समयावधि में होकर ग्राहय् योग्य है या नहीं कोई औचित्य नहीं रखता है। छल या कपट के द्वारा किया गया अंतरण या पारित आदेश को निगरानी में लिये जाने के लिये समय सीमा वाधित नहीं है। ऐसे आदेश को कभी भी संज्ञान में लिया जाकर निरस्त किया जा सकता है और कलेक्टर,जिला गुना द्वारा भी वही किया है।

जहां तक अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अवधिवाहय् मानकर निरस्त किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में निगरानीकर्ता के द्वारा इस न्यायालय में भी ऐसा कोई ठोस आधार पेश नही किया गया कि वास्तव में ही उसे कलेक्टर,जिला गुना द्वारा पारित आदेश की जानकारी नहीं थी। इस संबंध में भी अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश में वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतो का हवाला दिया जाकर ही निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अवधिवाहय् माना है। अतः उक्त आदेश में भी किसी प्रकार से हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर,जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2002 एवं अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2006 विधिसम्मत होने से यथावत रखे जाते है और प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस किया जावे तथा प्रकरण अंक से कम किया जाकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(डॉ0 एम0के0अग्रवाल)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर